पेट्रोल में 5 फीसदी जरूरी एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए ऑयल कंपनियों को निर्देश

एथनॉल के लिए आएगा नया टेंडर

- **पेट्रोलियम मिनिस्टर** ने पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन से एथनॉल की खरीदारी और एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए डिलीवरी तेज करने के लिए कहा है
- **एथनॉल ब्लेंडिंग** प्रोग्राम के लिए ऑयल कंपनियों को 105 करोड़ लीटर एथनॉल की जरूरत होगी। इसमें से 21 करोड़ लीटर एथनॉल पहले ही लोकल सोर्स से जुटा ली गई है। कंपनियां अब 40 करोड़ लीटर एथनॉल के लिए नए टेंडर निकालेंगी
- **पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री** एथनॉल के लिए टेंडर निकालने के मिनिस्ट्री के ऑर्डर को गैरकानूनी बता रही है

[श्रेया जय *नई दिल्ली*]

पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पेट्रोल में 5 फीसदी जरूरी एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए ऑयल कंपनियों को जल्द नए टेंडर निकालने के लिए कहा है। मिनिस्टर ने पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) से एथनॉल की खरीदारी और एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के लिए डिलीवरी तेज करने के लिए कहा है।

एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के लिए ऑयल कंपनियों को 105 करोड़ लीटर एथनॉल की जरूरत होगी। उन्होंने इसमें से 21 करोड़ लीटर एथनॉल पहले ही लोकल सोर्स से जुटा ली है। ये कंपनियां अब 40 करोड़ लीटर एथनॉल के लिए नए टेंडर निकालेंगी।

पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने हाल ही में ग्लोबल टेंडर्स कैंसल कर दिए थे। उसका कहना था कि महंगे इंपोर्टेड एथनॉल को पेट्रोल में मिलाना महंगा पड़ेगा। मिनिस्ट्री के अफसरों ने बताया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने सोमवार को डोमेस्टिक सोर्स से ज्यादा एथनॉल खरीदने के लिए नए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने पर चर्चा की।

लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एथनॉल के लिए टेंडर निकालने के मिनिस्ट्री के ऑर्डर को गैरकानूनी बता रही है। उसका कहना है कि यह प्रोग्राम फिलहाल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की जांच के दायरे में है।

सीसीआई को अलग से दी गई शिकायतों में इंडियन ग्लाइकॉल्स लिमिटेड और ईस्टर इंडिया केमिकल्स लिमिटेड का कहना है कि ऑयल और शुगर कंपनियों को टेंडरिंग के जरिए एथनॉल खरीदने के कैबिनेट के आदेश से डोमेस्टिक एथनॉल की कीमत में तेज उछाल आएगा और खुद की इंडस्ट्री के लिए एथनॉल की कमी हो जाएगी। सीसीआई ने 26 मई 2013 के अपने आदेश में कहा था, 'हमें बताया गया है कि 2013 के ज्वाइंट टेंडर में शामिल शुगर मैन्युफैक्चरर्स ने एक जैसे रेट देकर बिडिंग में धांधली की है। इन्होंने गठजोड़ करके ऐसा किया जो एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ है।'

सीसीआई शिकायतकर्ताओं को अंतरिम राहत देने के लिए मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। मामले की जानकारी रखने वाले पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के एक प्रमुख ऑफिशियल ने कहा कि अगर मामले में सीसीआई अंतरिम ऑर्डर पास करता है, तो सभी एथनॉल टेंडर तुरंत रूक जाएंगे।

मामले से जुड़े वकील ने कहा, 'कॉम्पिटिशन लॉ में मार्केट और कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने वाले साझा हितों के साथ सप्लायर और बायर्स की मीटिंग हार्डकोर वर्टिकल इंटीग्रेशन और एंटी कॉम्पिटिटिव मानी जाती हैं, क्योंकि इससे मार्केट में कॉम्पिटशन की जगह नहीं रह जाती है।'

सीसीआई के पास आई शिकायत में 17 चीनी मिलों, 3 पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनियां, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा), नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज और एथनॉल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। शुगर इंडस्ट्री के शीर्ष प्रतिनिधि निकाय इस्मा ने इस मामले में कमेंट करने से मना कर दिया है।

पेट्रोकेमिकल्स फर्मों की चिंता

इंडियन ग्लाइकॉल्स लिमिटेड और ईस्टर इंडिया केमिकल्स लिमिटेड जैसी पेट्रोकेमिकल्स कंपनियों का कहना है कि ऑयल और शुगर कंपनियों को टेंडरिंग के जरिए एथनॉल खरीदने के कैबिनेट के आदेश से डोमेस्टिक एथनॉल की कीमत में तेज उछाल आएगा और खुद की इंडस्ट्री के लिए एथनॉल की कमी हो जाएगी

Economic times Hindi
2/7/13